छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा | अष्टम् सत्र | अंक-14

नवा रायपुर अटल नगर, गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2026

(फाल्गुन 28, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

1. बधाई / शुभकामनाएं

माननीय सभापति ने सदन एवं प्रदेशवासियों को चैत्र-नवरात्र, हिन्दू नववर्ष, गुड़ी-पड़वा एवं चैट्रीचण्ड की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए सभी की खुशहाली की कामना की।

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत एवं उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने भी अपनी एवं अपने दल की ओर से शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

2. जन्म दिवस की बधाई

माननीय सभापति ने माननीय सदस्य श्री लालजीत सिंह राठिया को उनके जन्म दिन पर अपनी एवं सदन की ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

3. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रिकेश सेन एवं तारांकित प्रश्न संख्या- 09 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री सुशांत शुक्ला अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 59 तारांकित एवं 84 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

4. सदन को सूचना

(1) माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था श्री गुरू खुशवंत साहेब, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

(2) माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- रजत जयंती वर्ष 2025 की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाये रखने के उद्देश्य से षष्ठम् छत्तीसगढ़ विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को "ट्रॉली बैग" का वितरण सूचना शाखा के माध्यम से किया जा रहा है। समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया, सूचना शाखा से अपने "ट्रॉली बैग" अवश्य प्राप्त कर लेवें।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-

- (i) एफ 7-7/2004/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 एवं
- (ii) एफ 7-19/2015/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025,

(2) श्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल-801/202/2025-यूएडी, दिनांक 7 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025,

(3) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

- (i) ईएसटीबी-1/939/2025-यूएडी, दिनांक 10 नवम्बर, 2025 तथा
- (ii) एफ 1-7/2014/18, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024,

गुरूवार, 19 मार्च, 2026

(4) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास) ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक -

(i) ईएसटीबी-103/2/2025-यूएडी-पार्ट-(1), दिनांक 21 जनवरी, 2026 तथा

(ii) एफ 5-5/2024/18, दिनांक 7 अगस्त, 2024,

(5) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(6) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) की धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2774/संसा/ब-4/चार/2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026 तथा

(7) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) की धारा 12 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2776/संसा/ब-4/चार/2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड नियम, 2026 **पटल पर रखे।**

6. पृच्छा

नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा "मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 (SIR) की प्रक्रिया में मतदाताओं के नाम कटने से उत्पन्न स्थिति" संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की गई।

माननीय सभापति ने स्थगन प्रस्ताव का विषय भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित होने एवं प्रथम अवसर पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण, स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

7. बहिर्गमन

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दिए जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

गुरूवार, 19 मार्च, 2026

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री ओंकार साहू, सदस्य के अनुपस्थित रहने के कारण सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य ने भारत सरकार की ओर से विशेष सहायता योजना (SASCI) द्वारा प्राप्त राशि के व्यय की अनियमितता के संबंध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. नियम 267-"क" के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-"क" के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री रिकेश सेन
2. श्री दिलीप लहरिया
3. श्री भोलाराम साहू
4. श्रीमती चातुरी नंद
5. श्री ब्यास कश्यप

10. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ.चरणदास महंत (सभापति, लोक लेखा समिति) ने लोक लेखा समिति का इकसठ से छियानबे तक कुल 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

गुरूवार, 19 मार्च, 2026

अशासकीय संकल्प क्रं.	सदस्य का नाम	समय
1. (क्रमांक - 07)	श्री अजय चन्द्राकर	30 मिनट
2. (क्रमांक - 28)	श्री सुशांत शुक्ला	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्रीमती चातुरी नंद
2. श्रीमती अनिला भेंड़िया
3. श्रीमती रायमुनी भगत
4. श्री ईश्वर साहू

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति द्वारा "छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026)" के पुर:स्थापन हेतु श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) का नाम पुकारे जाने पर नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत ने आपत्ति की कि यह विषय सुप्रीम कोर्ट में निर्णय हेतु विचाराधीन है, इसलिए इसे प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। इसे परीक्षण हेतु प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

इस पर उप मुख्यमंत्री (गृह) ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए सदन को अवगत कराया कि इस विषय में सुप्रीम कोर्ट में कहीं कुछ स्टे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि इस पर कोई कानून न बनाया जाए, वरन् संविधान का अनुच्छेद 25 "फ्रीडम ऑफ रिलिजन" की अनुमति देता है कि कोई भी राज्य की सरकार कोई कानून बना हुआ है, तो उसका पालन कर सकती है, और राज्य की सरकार चाहे तो पब्लिक ऑर्डर पर नये कानून बना सकती है। प्रवर समिति को दिए जाने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी वह हो चुकी है। लोगों से फीड-बैक लिए गए हैं, अत: हम सबको सहमत होकर इस विषय को आगे बढ़ाना चाहिए।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि- माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा विधेयक के पुर:स्थापन के संबंध में जो आपत्ति की गई थी, उस पर माननीय

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, अत: मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की आपत्ति को अमान्य करते हुए, पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान करता हूं।

13. बहिष्कार

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के पुर:स्थापन के विरोध में नेता प्रतिपक्ष, डॉ.चरणदास महंत के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने दिनभर के लिए सभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(1) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) का पुर:स्थापन किया।

(2) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026)

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, मोतीलाल साहू, श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते,

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026)

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री प्रेमचंद पटेल, आशाराम नेताम, अनुज शर्मा

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 18 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री धरमलाल कौशिक,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

सुश्री लता उसेण्डी, श्रीमती रायमुनी भगत,

(सभापति महोदय (श्री धरमलाल कौशिक) पीठासीन हुए)

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, नीलकण्ठ टेकाम, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री विनायक गोयल, सुनील कुमार सोनी,

(सभापति महोदय (श्री विक्रम उसेण्डी) पीठासीन हुए)

सर्वश्री अनुज शर्मा, सुशांत शुक्ला,

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

सर्वश्री रोहित साहू, चैतराम अटामी, रामकुमार टोप्पो, श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति के आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री पुरन्दर मिश्रा, दीपेश साहू, इन्द्र कुमार साहू ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 31 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(माननीय सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप के प्रस्ताव उपरांत सभा की सहमति से आज की कार्यसूची के पद क्रमांक 7 का कार्य आगामी सत्र में लिये जाने की घोषणा की)

(सायं 6.39 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2026 (फाल्गुन 29, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा